

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

श्री...~~वली~~...

हलका...~~शुक्र~~...

पुत्र श्री...~~सुखान~~... जाति...~~शिन्धी~~...

निवासी-~~शुक्र~~...

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं...५५.../वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका... शुक्र ... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्... में मौजा... के खसरा नंबर... रकबा... किस्म भूमि... पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक... को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-1-2021	पत्रावली पेश हुई और सापल उपस्थित। फिलान अधिकारी सापल कार्य हेतु जांचपुर प्यारे हैं। पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश हो। 11-1-2021	वली...
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सापल उपस्थित। और सापल ने पत्रावली हेतु सापल याद को दिनांक 27-01-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	वली...

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित।
गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया
जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीढारसीन अधिकारी आज ड्यूटी
पर सिनधरी पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 17-2-2021
को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर
सायल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर
सायल को जवाब हेतु बार-2 अवसर दिये जाने
के उपरान्त भी कोई विधि संगत साक्ष्य प्रस्तुत
नहीं किया। गैर सायल को अग्रिम मानते हुए पत्रावली
कैसल सुमार है। निम्न अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। पत्रावली कैसल सुमार लेकर
दाखिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर